

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 555 सन 2019

अनवान :-

1. रामकुमार पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बिरबलराम पुत्र हेमाराम बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर ।
2. बद्रीलाल पुत्र बिरबलराम बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. कृष्ण कुमार पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर ।
4. सुनीता पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कुमारी बाला पुत्री महेन्द्र पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. श्रवण कुमार पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रोशनीदेवी पुत्री बिरबलराम पत्नि लुणाराम जाति नायक साकिन ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. रामेश्वरी पुत्री बिरबलराम पत्नी बुधराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सन्तरो देवी पुत्री बिरबलराम पत्नि सुभाष जाति नायक साकिन ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री विजयसिंह कडवसरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/2/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 168/158 की कुल 14.7960 हैक में से 1/2 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 169/159 की कुल 9.9020 हैक में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक में से 1/6 हिस्सा हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7, ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है एवं बिरबल के पुत्र महेन्द्र जिसका देहान्त हो गया है के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है वे महेन्द्र पुत्र बिरबल के हक हिस्सा की भूमि बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/भतिजो/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 168/158 की कुल 14.7960 हैक् में से 1/2 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 169/159 की कुल 9.9020 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक् में से 1/6 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7, ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

②

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 168/158 की कुल 14.7960 हैक में से 1/2 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 169/159 की कुल 9.9020 हैक में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक में से 1/6 हिस्सा हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

पर्चा खतोनी रोही मौजा ढण्डेला बारानी एवं चक 1 बी बारानी के अनुसार वाद भूमि हेमाराम पुत्र बिशनाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेमाराम पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 168/158 की कुल 14.7960 हैक में से 1/2 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 169/159 की कुल 9.9020 हैक में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक में से 1/6 हिस्सा हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तीनों बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
राजस्व  
कोर्ट

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामकुमार पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बिरबलराम पुत्र हेमाराम बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
2. बद्रीलाल पुत्र बिरबलराम बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर
3. कृष्ण कुमार पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर।
4. सुनीता पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कुमारी बाला पुत्री महेन्द्र पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. श्रवण कुमार पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रोशनीदेवी पुत्री बिरबलराम पत्नि लुणाराम जाति नायक साकिन ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. रामेश्वरी पुत्री बिरबलराम पत्नी बुधराम जाति नायक निवासी ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सन्तरो देवी पुत्री बिरबलराम पत्नि सुभाष जाति नायक साकिन ढण्डेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 555 सन 2019 निर्णय दिनांक- 12/2/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 168/158 की कुल 14.7960 हैक् में से 1/2 हिस्सा रोही मौजा ढण्डेला के खाता संख्या 169/159 की कुल 9.9020 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 1 बी बारानी के खाता संख्या 52/47 की कुल 10.8790 हैक् में से 1/6 हिस्सा हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तीनों बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )